

छ.ग.राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम – उरला, पो-बी0एम0वा0चरौदा, जिला-दुर्ग (छ0ग0)

क्रमांक / 2220 / छ.ग.दु.म.सं. / विपणन / 2021

उरला, दिनांक 26.10.2021

।। प्रपत्र-दुग्ध विपणन परिवहन हेतु तृतीय निविदा सूचना ।।

सहपत्रों की सूची:-

| क्र. | विवरण | पृष्ठ क्रमांक | पृष्ठ संख्या |
|------|--|---------------|--------------|
| 01. | समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा | 01 | 01 |
| 02. | दुग्ध वितरण परिवहन निविदा शेड्यूल | 02 | 01 |
| 03. | निविदा के नियम एवं शर्तों की जानकारी | 03—09 | 07 |
| 04. | मार्ग विवरण | 10 | 01 |
| 05. | टेण्डर फार्म | 11—12 | 02 |
| 06. | दुग्ध वितरण हेतु अनुबंध | 13—18 | 06 |
| 07. | मार्गवार धरोहर राशि की जानकारी (अनुसूची-2) | 19 | 01 |
| | कुल सहपत्र | | 19 |

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम—उरला, पो—बी०एम०वाय०चरोदा जिला — दुर्ग (छ०ग०)

Website : www.cgcoopdairyfed.in

E-Mail : raipurdugdhsangh@gmail.com

क्रमांक / 2220 / छ.ग.दु.म.सं. / विपणन / 2021

उरला, दिनांक 26.10.2021

॥ तृतीय दुग्ध विपणन परिवहन निविदा सूचना ॥

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के दुग्ध विपणन मार्गों में वाहन परिचालन हेतु दो वर्ष के लिए तापरोधी (इंसुलेटेड) वाहन हेतु सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। वांछित विस्तृत विवरण महासंघ की वेबसाइट www.cgcoopdairyfed.in में उपलब्ध है।

निविदा दिनांक 18.11.2021 को दोपहर 3:00 बजे दुग्ध महासंघ उरला मुख्य कार्यालय में खोली जायेगी।

प्रबन्ध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम-उरला, पो-बी०एम०वाय० चरोदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक / 2220 / छ.ग.दु.म.सं. / विपणन / 2021

उरला, दिनांक 26.10.2021

॥ शेड्यूल-दुग्ध वितरण परिवहन हेतु निविदा ॥

| | | |
|----|--|--|
| 1. | निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की विधि | निविदा प्रपत्र छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित की वेबसाइट www.cgcoopdairyfed.in से 27.10.2021 से डाउनलोड किया जा सकेगा। |
| 2. | निविदा जमा करने की तिथि, समय एवं स्थान | 18.11.2021 दोपहर 01:00 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत पोस्ट द्वारा निम्न पते पर प्राप्त हुई निविदाएं ही शामिल की जाएंगी :- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, कार्यालय क्रमांक 1 प्रथम तल, शहीद वीर नारायण सिंह (अभ्युदय) परिसर, नगर घड़ी चौक रायपुर (छ.ग.) पिन : 492001 |
| 3. | निविदा खोलने की तिथि, समय एवं स्थान | 18.11.2021 दोपहर 3:00 बजे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, ग्राम-उरला-बी०एम०वाय० चरोदा, जिला : दुर्ग (छ०ग०), पिन : 490025, विपणन शाखा |
| 4. | निविदा खोलने की प्रक्रिया | ➤ सर्वप्रथम बड़ा लिफाफा "C" खोल कर लिफाफा "A", "B" प्राप्त किया जावेगा। ➤ लिफाफा "A" को खोलकर निविदा प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज की जांच की जावेगी। निविदा प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सही होने पर ही भाव पत्र का लिफाफा, लिफाफा "B" खोला जावेगा। |
| 5. | निविदा प्रपत्र शुल्क | निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 1,000/- का डिमांड ड्राफ्ट जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को रायपुर में देय हो संलग्न करना होगा। |
| 6. | निविदा धरोहर राशि | मार्गवार निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट जो "छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित" (Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Marvadit) को रायपुर में देय हो संलग्न करना होगा। |

नोट :- निविदा प्राप्ति एवं खोलने की तिथि में किसी भी कारण से अवकाश घोषित होने पर इन्हें अगले कार्यदिवस में समान निर्धारित समय तक प्राप्त करते हुए समान निर्धारित समय में खोला जावेगा।

कार्यालय—छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

ग्राम—उरला,पोस्ट—बी.एम.वाय.चरोदा जिला—दुर्ग (छ.ग.)

॥ नियम एवं शर्तें—दुग्ध वितरण परिवहन हेतु निविदा ॥

क्रमांक / 2220 / छ.ग.दु.म.सं. / विपणन / 2021

उरला, दिनांक 26.10.2021

1. कार्य का स्वरूप :-

- यह निविदा सामग्री के परिवहन के लिए वाहन आवश्यकता हेतु जारी की गई है। वाहन ठेकेदार को संबंधित दुग्ध संयंत्र से देवभोग दूध एवं दुग्ध पदार्थ प्राप्त कर छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा नियुक्त बूथ एजेंट, वितरक, संस्था आदि को प्रदाय करना होगा।
- प्रतिदिन सुबह/शाम एक पाली अथवा दोनों पाली में निर्धारित समय पर वाहन लोडिंग हेतु संबंधित संयंत्र/स्थान पर लगाकर समय पर वितरण संपन्न कराना तथा खाली क्रेट/कैन नियमित रूप से संयंत्र/शटल पाईट तक लाना वाहन ठेकेदार की जवाबदारी होगी। इस हेतु महासंघ द्वारा समय समय पर आवश्यकता अनुसार दी गई निर्धारित समय सारणी वाहन ठेकेदार को मान्य होगी।

2. पात्रता :-

- विपणन कार्य हेतु वाहन मॉडल वर्ष 2016 या इसके बाद को प्राथमिकता दी जावेगी। इसके पूर्व की वाहन के लिए निविदा भरने की दशा में निविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा की वाहन अच्छी स्थिति में उचित रख-रखाव के साथ रखी गई है। यदि अवलोकन में वाहन उपयुक्त नहीं पाई गई तो एक सप्ताह में वैकल्पिक उपयुक्त वाहन उपलब्ध कराई जावेगी। वांछित कार्यवाही न होने पर धरोहर राशि राजसात कर निविदा निरस्त की जा कर अन्य निविदाकार को अवसर दिया जा सकेगा।
- वाहन से संबंधित रोड टेक्स इत्यादि भरा हुआ होना चाहिए एवं वाहन बीमाकृत होना चाहिए। अन्य दस्तावेज भी नवीनीकृत होने चाहिये। स्वीकृत होने पर संपूर्ण निविदा अवधि में वाहन एवं चालकों के समस्त वांछित दस्तावेज अद्यतन नवीनीकृत रखना निविदाकार की जिम्मेवारी होगी।
- निविदाकार को वाहन मालिकी हक का होना आवश्यक होगा। इस हेतु पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें। इसे मूल प्रति से सत्यापित कराना होगा। नई (सोल्ड) वाहन के लिए निविदा प्रस्तुत होने पर निविदा स्वीकृति की दशा में 15 दिन में वाहन के कागजात प्रस्तुत न किये जाने पर निविदा निरस्त कर धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी। सोल्ड वाहन बी.एस. 6 मानक की होना आवश्यक है।
- यदि पूर्व में किसी वाहन ठेकेदार को प्रतिबंधित अथवा काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डाला गया है तो वह निविदा नहीं भर सकेगा। साथ यदि उसके द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई है तो उस पर विचार नहीं किया जावेगा तथा जमा अर्नेस्ट मनी राजसात की जा सकेगी। निविदाकार को संलग्न प्रारूप (अनुसूची-1) में काली सूची में नहीं होने का शपथ पत्र निविदा के साथ लगाना होगा।

3. कार्य की वैधता :-

- इन्सुलेटेड वाहन की टेण्डर अवधि 2 वर्ष की होगी। किसी विशेष मार्ग में इन्सुलेटेड वाहन की निविदाएं प्राप्त न होने पर ही सामान्य वाहन की निविदा पर विचार किया जा सकेगा। सामान्य वाहन की निविदा अवधि 1 वर्ष की होगी। निविदा अवधि समाप्ति के बाद प्रबंध संचालक का यह अधिकार होगा कि वह ठेका अवधि 1 वर्ष तक समान दरों पर बढ़ा सकेंगे।

4. जुर्माना :-

- आदेश देने के पश्चात 03 दिवस में वाहन कार्यालय में निरीक्षण हेतु लाकर सहायक महाप्रबंधक (यांत्रिकी), सहायक महाप्रबंधक (विपणन) एवं प्रभारी गुण नियंत्रण की गठित समिति के समक्ष निरीक्षण करवाना होगा। समय सीमा में वाहन न लाने पर धरोहर राशि राजसात करते हुये निविदा निरस्तीकरण एवं द्वितीय न्यूनतम निविदाकार को कार्य आबंटन किया जा सकेगा। खुली/सोल्ड वाहन पर निविदा स्वीकृति की स्थिति में वाहन के इन्सुलेशन हेतु अधिकतम एक माह का समय दिया जायेगा। निश्चित समय में स्वीकृत दर पर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर या निविदा की शर्तों का उल्लंघन होने पर धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
- निविदाकार को वाहन मालिकी हक का होना आवश्यक होगा। इस हेतु पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें। इसे मूल प्रति से सत्यापित कराना होगा। वाहन संचालन हेतु निष्पादित किये गये अनुबंध में संचालित हो रही वाहन का पंजीयन क्रमांक दर्ज किया जावेगा। बिना पूर्व अनुमति/सूचना के आदेशित वाहन के स्थान पर अन्य वाहन लगाये जाने पर इस अवधि के परिवहन देयक में 50 प्रतिशत राशि का कटौती किया जावेगा।
- महासंघ की सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा सामान एवं सवारी दूध वाहन में नहीं ले जाया जायेगा। महासंघ के अधिकारी द्वारा निरीक्षण एवं जाँच के समय यदि उपरोक्त अनियमितता पायी गयी तो उस पाली का भाड़ा महासंघ द्वारा देय नहीं होगा। लगातार तीन बार शिकायतें रहती है तो वाहन संचालन आदेश निरस्त कर जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं आगामी दो वर्षों तक महासंघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

(iv) वाहन ठेकेदार बिना महासंघ की अनुमति के विपणन कार्य हेतु वाहन नहीं बदल सकता व वाहन खराब होने की स्थिति में केवल एक दिन के लिए बिना अनुमति के वाहन बदल सकेगा। इसके अतिरिक्त यदि वाहन की मरम्मत में एक दिन से अधिक का समय लगता है तो महासंघ की लिखित अनुमति से ही उस अवधि तक के लिए दूसरा वाहन चला सकता है, परंतु लगाई गई वैकल्पिक वाहन अच्छी स्थिति में, समान भार क्षमता एवं इंसुलेटेड वाहन संचालन आदेश की स्थिति में वैकल्पिक वाहन भी इंसुलेटेड होना आवश्यक है। इनमें से किसी भी मापदण्ड का पालन न होने पर स्वीकृत दर का 50 प्रतिशत ही भुगतान किया जावेगा, एवं ऐसी स्थिति लगातार 5 दिन से अधिक रहने पर सुरक्षा राशि राजसात करते हुये संचालन आदेश निरस्त किया जा सकेगा, साथ ही महासंघ द्वारा की गई वैकल्पिक व्यवस्था में दर अंतर की राशि वाहन ठेकेदार के लंबित देयकों से वसूल की जावेगी।

ठेके की अवधि में यदि वाहन ठेकेदार किसी दिन वाहन दूध वितरण करने में असफल रहता है तो उस दिन के आदेशित संपूर्ण दूध एवं दुग्ध उत्पाद की उपभोक्ता दर पर राशि दंड स्वरूप वाहन ठेकेदार से वसूल की जावेगी तथा उस दिन के परिवहन देयक का भुगतान नहीं किया जावेगा। दंडित राशि के उत्पाद वाहन ठेकेदार को नहीं दिये जायेंगे। ऐसी स्थिति निर्मित होने पर यदि महासंघ वैकल्पिक व्यवस्था कर वितरण कार्य संपन्न कराता है तो ऐसी प्रत्येक घटना पर इस व्यवस्था में हुये अतिरिक्त व्यय की राशि दस हजार रुपये के अर्थदंड के साथ वसूल की जावेगी। रास्ते में वाहन खराब होने/दुर्घटना ग्रस्त होने पर वाहन ठेकेदार को अपनी जिम्मेदारी तथा व्यय पर वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा दूध/दुग्ध पदार्थ को निश्चित जगह पर निर्धारित समय पर पहुँचना होगा। ऐसी परिस्थिति में हुए नुकसान की कोई प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा नहीं की जावेगी, तथा नुकसान की वसूली वाहन ठेकेदार से की जावेगी। वैकल्पिक व्यवस्था में विलंब होने पर हुये नुकसान की भरपाई द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से की जावेगी। दूध एवं दुग्ध पदार्थ अपने गंतव्य तक न पहुँच पाने की प्रत्येक स्थिति में इनकी उपभोक्ता दर पर राशि रु. 10,000/- के अर्थदण्ड के साथ वाहन ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

(v) निविदा में वांछित क्षमता का वाहन ही उपलब्ध कराया जाना होगा। वाहन में वांछित क्षमता के अनुरूप लोडिंग व्यवस्था न होने पर हुई डिमांड कटौती की प्रत्येक स्थिति में कटौती मात्रा की उपभोक्ता दर पर 10 गुनी राशि का कटौती परिवहन ठेकेदार के परिवहन देयक से किया जावेगा। इसी प्रकार परिवहन नियमों के अनुरूप वाहन संचालन की जिम्मेदारी वाहन ठेकेदार की होगी। ओवर लोडिंग या अन्य किसी भी कारण से सक्षम अधिकारी द्वारा की गई समस्त शास्तियों/अर्थदंड हेतु वाहन ठेकेदार ही जवाबदेह एवं उत्तरदायी रहते हुये इनका वहन अपने व्यय पर करेगा।

(vi) वाहन ठेकेदार को कार्यादेश प्राप्त होने पर 1 माह के अंदर दुग्ध महासंघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में दुग्ध महासंघ के उत्पादों का विज्ञापन अनुबंधित वाहनो पर लिखवाना होगा। इंसुलेटेड वाहनों में महासंघ उपयुक्त विनाईल लगवायेगा जिसके लिये 2 टन क्षमता तक की वाहनों पर रु. 3,000/- तथा बड़ी वाहनों हेतु रु. 5,000/- परिवहन ठेकेदार के प्रथम देयक से काटा जावेगा। सामान्य वाहनों पर निविदाकार द्वारा उपयुक्त विज्ञापन जिसमें संपर्क नंबर लिखा हो स्वयं लगवाये जायेंगे। विज्ञापन निर्धारित अवधि तक नहीं लगवाने पर रु. 100.00 प्रतिदिन आर्थिक दण्ड भी लगाया जावेगा।

(vii) वितरण वाहन ठेकेदार को वितरण कार्य समय पर संपादित करना आवश्यक होगा। सामान्य स्थिति में वाहन अंतिम पाईन्ट पर प्रातः 7 बजे तक पहुँचना आवश्यक होगा। 7.15 के बाद वाहन पहुँचने पर उस दिन का परिवहन देयक नहीं दिया जावेगा।

(viii) वाहन ठेकेदार को प्रातः पाली में प्रदायित क्रेट उसी दिन अपरान्ह 3:00 बजे तक डेयरी में जमा करना आवश्यक होगा। शाम पाली में प्रदायित क्रेट रात्रि 10:30 तक जमा करना आवश्यक होगा। आवश्यक होने पर केवल शटल स्थानों से संचालित वाहनों को इस कंडिका से आंशिक छूट दी जा सकेगी। निर्धारित समय के बाद क्रेट प्राप्त होने पर उस दिन के परिवहन देयक की राशि या रु. 500/- जो भी कम हो, का कटौती परिवहन देयक से किया जावेगा। बाजार स्थिति के दृष्टिगत 1/16 तारीख को प्रदायित क्रेट का अधिकतम 15 प्रतिशत बाजार में छोड़ने की अनुमति होगी। किसी भी तिथि में इससे अधिक क्रेट बकाया होने पर रु. 5/- प्रतिदिन प्रति क्रेट की दर पर राशि का कटौती परिवहन देयक से किया जावेगा। प्रत्येक माह की 15 तारीख एवं अंतिम तिथि में शत् प्रतिशत क्रेटों की वापसी आवश्यक होगी। कम प्राप्त क्रेटों की प्रचलित क्रय दर के आधार पर गणना की गई राशि का कटौती परिवहन देयक से किया जावेगा।

रात्रि पाली में लोडिंग हेतु वाहनों की रिपोर्टिंग 10:30 बजे तक आवश्यक होगी। निर्धारित समय के बाद वाहन आने पर रु. 500/- प्रति ट्रीप का कटौती परिवहन देयक से किया जायेगा। इसी प्रकार शासकीय नियमों जैसे वर्तमान में मास्क लगाना, वाहन में सैनीटाईजर रखना आदि का पालन अनिवार्य होगा। मास्क नहीं लगा होने/प्रचलित नियमों का पालन नहीं होने की स्थिति में रु. 500/- प्रति ट्रीप का कटौती परिवहन देयक से किया जावेगा। इस संबंध में डेयरी डाक सहायक की रिपोर्टिंग पर्याप्त आधार होगी।

- (ix) डेयरी की परिधि के अन्दर आने वाली वाहन निर्धारित रफ्तार से ज्यादा गति से नहीं चलाई जावेगी, न ही डेयरी परिधि में वाहन की साफ सफाई की जायेगी। इसी प्रकार वाहन ठेकेदार के वाहन ठेकेदार/हेल्पर द्वारा प्लांट परिसर में अनुशासन भंग कार्य किये जाने पर प्रथम पक्ष को स्वविवेकानुसार पेनाल्टी करने का अधिकार होगा। वाहन का डेयरी डाक पर प्रतिदिन निरीक्षण किया जावेगा। वाहन साफ न होने पर डेयरी डाक सहायक की रिपोर्ट के आधार पर ऐसी प्रत्येक अवसर पर रु. 200/- का कटौती वाहन ठेकेदार के देयक से किया जावेगा। इस संबंध में डेयरी डाक सहायक से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट ही पर्याप्त आधार होगी।
- (x) वाहन लोडिंग के बाद यदि इसमें वितरण शीट से अधिक संख्या में मिल्क क्रेट, कैन, दूध पैकेट, दुग्ध उत्पाद पैकेट पाए जाते हैं, तो निम्नानुसार राशि का कटौती परिवहन देयक से किया जावेगा :-
अतिरिक्त क्रेट एवं कैन की वास्तविक राशि
पाए गये अतिरिक्त दूध/दुग्ध पदार्थ की उपभोक्ता दर पर राशि का दस गुना
- (xi) दुग्ध विपणन में सामान्य (नॉन इंसुलेटेड) वाहन में गर्मी एवं वर्षा से बचाव के लिए वाहन ठेकेदार को वाहन पर हुड/त्रिपाल/तालपत्री लगाना अनिवार्य होगा। हुड/त्रिपाल/तालपत्री के ना होने पर ऐसे प्रत्येक अवसर/ट्रीप पर रु. 500/- पेनाल्टी की जावेगी।
- (xii) रास्ते में मिलावट करते हुए/दूध बेचते हुए/चोरी करते हुए पकड़े जाने पर नुकसान की वसूली एवं रु. 10,000/- जुर्माना किया जावेगा। ऐसी गलती दोबारा होने पर सुरक्षा राशि राजसात करते हुये ठेका निरस्त किया जा सकेगा।
- (xiii) वाहन ठेकेदार से की जाने वाली वसूली राशियों को वाहन ठेकेदार के पेंडिंग बिल और/या धरोहर राशि से वसूल करने का संपूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक को होगा। वसूली की राशि देय राशि से अधिक होने पर निविदाकार अंतर की राशि जमा करने हेतु बाध्य होगा।
- (xiv) यदि वाहन ठेकेदार अपनी निविदा अवधि पूर्ण होने से पूर्व वाहन संचालन बंद करता है, तो अनुबन्ध अवधि में वैकल्पिक वाहन लगाने से बकाया निविदा अवधि तक की हुई समस्त हानि की वसूली वाहन ठेकेदार के बकाया परिवहन बिलों व धरोहर राशि इत्यादि से की जावेगी एवं यदि इसके बाद में भी राशि बकाया निकलती है तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित वसूली की कार्यवाही करेगा।
- (xv) बूथ एजेंट/एजेंसी/वितरक/संस्था को दूध देने के पश्चात मात्रा प्राप्ति की रसीद वाहन ठेकेदार को संबंधित से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ मर्यादित के अधिकृत प्रतिनिधि को देनी होगी। प्राप्ति की रसीद बूथ एजेंट/एजेंसी/वितरक/संस्था के हस्ताक्षरयुक्त नहीं होने पर यदि दूध/दुग्ध पदार्थ की मात्रा के संबंध में विवाद हुआ तो अंतर की राशि वाहन ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

5. भुगतान की शर्त :-

- (i) द्वितीय पक्ष को प्रतिमाह दो बार देयकों का भुगतान किया जायेगा। प्रथम पखवाड़े का देयक दिनांक 20 को एवं द्वितीय पखवाड़े का देयक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक दिया जाना होगा।
- (ii) अनुबंध करते समय द्वितीय पक्ष को स्टेट बैंक आफ इंडिया का बचत खाता क्रमांक एवं स्थायी खाता नंबर (पैन) कार्ड की सत्यापित छायाप्रति जमा करना आवश्यक होगा, ताकि परिवहन देयक की राशि का भुगतान डिजीटल माध्यम से किया जा सके।
- (iii) आयकर व व्यवसाय कर आदि की राशि परिवहन ठेकेदार से काटी जावेगी। साथ ही समय-समय पर सरकार द्वारा प्रसारित नियम आदेश नियमानुसार लागू किये जावेंगे एवं तदनुसार कटौती की जावेगी।

6. निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया :-

6.1 लिफाफा "A" प्रपत्र शुल्क रु. 1000/-, धरोहर राशि एवं वाहन के कागजात का लिफाफा :-

- (i) प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि का डी.डी. एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज एक अलग लिफाफा रखे, जिस पर लिफाफा "A" लिखा जाए।
- (ii) मार्ग अनुसार निर्धारित धरोहर राशि अनुसूची 2 के अनुसार डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ही जमा की जानी होगी। धरोहर राशि जमा न होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- (iii) धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- (iv) न्यूनतम दर के निविदाकार को निविदा स्वीकृति पर जमा की जाने वाली धरोहर राशि अनुसूची 2 कॉलम क्रमांक (7) के अनुसार डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ही जमा की जानी होगी। धरोहर राशि जमा न होने पर उनके द्वारा निविदा में जमा धरोहर राशि राजसात करते हुये द्वितीय न्यूनतम निविदाकार को अवसर दिया जा सकेगा।

लिफाफा "A" में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का चेक लिस्ट

| क्र. | दस्तावेज का नाम | संलग्न का प्रकार |
|------|---|--|
| 01. | निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 1000/- का छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित (Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit) को रायपुर में देय डिमांड ड्राफ्ट | मूलतः संलग्न किया जाना है। |
| 02. | अनुसूची 2 कॉलम क्रमांक (6) के आधार पर वांछित मार्ग की धरोहर राशि का छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित (Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Maryadit) को रायपुर में देय डिमांड ड्राफ्ट | मूलतः संलग्न किया जाना है। |
| 03. | वाहन से संबंधित दस्तावेज | स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत की जानी है। (सोल्ड वाहन हेतु आवश्यक नहीं) |
| | वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र | |
| | वाहन का फिटनेस एवं परमिट | |
| | वाहन का बीमा | |

6.2 प्रपत्र "B" भाव पत्र :-

- "भाव पत्र/दर" निविदा प्रपत्र में दिये गये प्रारूप में ही प्रस्तुत किया जावे।
- प्रपत्र में सम्पूर्ण जानकारी दी जावे। कॉट-छॉट होने पर नवीन प्रति वेबसाइट से डाउनलोड कर नवीन प्रति को बिना कॉट-छॉट के भरा जावे।
- दरें प्रति किलोमीटर है या प्रति ट्रीप स्पष्ट लिखा जावे।
- दरें अंको एवं शब्दों दोनों में लिखी जावे। अस्पष्ट होने/अंतर होने पर शब्दों में लिखी गई दरें मान्य की जावेगी।
- भारतीय स्टेट बैंक में खाता।
- पैन नंबर।

लिफाफा "B" में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का चेक लिस्ट

| क्र. | दस्तावेज का नाम | संलग्न का प्रकार |
|------|----------------------------|---|
| 01. | प्रपत्र "B" "भाव पत्र/दर" | हस्ताक्षर कर मूलतः संलग्न किया जाना है। |
| 02. | भारतीय स्टेट बैंक में खाता | बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें। |
| 03. | पैन कार्ड | पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें। |

6.4 निविदा खोलने की प्रक्रिया :-

- बड़ा लिफाफा "C" खोलकर सर्वप्रथम निविदा प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज का लिफाफा "A" खोला जावेगा।
- लिफाफा "A" में निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 1,000/- एवं मार्गवार निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति तथा वाहन से संबंधित दस्तावेज सही होने पर ही लिफाफा "B" खोला जावेगा।

6.5 निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :-

- उक्त दोनों "A" और "B" बंद लिफाफे एक साथ एक अन्य बड़े लिफाफे "C" में बंद कर कार्यालय में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, कार्यालय क्रमांक 1 प्रथम तल, शहीद वीर नारायण सिंह (अभ्युदय) परिसर, नगर घड़ी चौक रायपुर (छ.ग.), पिन : 492001 को प्रेषित किया जावेगा। **लिफाफा "C" में उपर की ओर विपणन शाखा एवं मार्ग क्रमांक का विवरण (निविदा किस मार्ग के लिए भरी गई है, की जानकारी) लिखा जाना आवश्यक होगा।**
- स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से रायपुर में दर्ज पते पर निविदाएँ प्राप्त होना आवश्यक है। **किसी भी अन्य तरीके/स्थान पर प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।**
- निविदा लिफाफा ठीक से मुहरबंद होना चाहिये।
- किसी भी कारण से निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त हुई निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
- उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्तें मान्य नहीं की जावेगी।
- दरे प्रपत्र "B" में संलग्न होगी एवं सिर्फ और सिर्फ इसी प्रारूप में स्वीकृत होंगी।

- (vii) प्रत्येक दुग्ध विपणन मार्ग क्रमांक एवं मार्ग विवरण के वाहन हेतु अलग-अलग निविदा प्रस्तुत करना होगा।
- (viii) निविदाकार को मार्ग की क्षमतानुसार निर्धारित वाहन उपलब्ध करानी होगी।
- (ix) निविदा प्रपत्र पूर्ण बिना काटपीट के स्वच्छ अक्षरों में होना चाहिए, जिसे बन्द लिफाफे में एवं बन्द लिफाफे के ऊपर कार्य विवरण अर्थात् निविदा क्रमांक एवं दुग्ध विपणन मार्ग क्रमांक हेतु निविदा आवश्यक रूप से अंकित कर जमा करें। यदि किसी प्रकार की निविदा भरते वक्त काटपीट की जाती है तो वहाँ निविदाकार का हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा।
- (x) निविदा में दर प्रति कि.मी./प्रति ट्रिप, माडल, वाहन का प्रकार इत्यादि की भी जानकारी मांगी गयी है। दरें प्रति किलोमीटर हैं या प्रति ट्रिप स्पष्ट उल्लेख किया जावे तथा निविदाकार का पता एवं फोन नम्बर भी आवश्यक रूप से अंकित करना होगा।

7. सामान्य नियम एवं शर्तें :-

- (i) निविदा प्रपत्र की राशि रु. 1,000/- (अक्षरी राशि रु. एक हजार. मात्र) डिमांड ड्राफ्ट जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को रायपुर में देय हो मूलतः जमा करना होगा।
- (ii) धरोहर राशि जो कि मार्ग विवरण में दर्ज है, का डिमांड ड्राफ्ट जो **“छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित” (Chhattisgarh Rajya Sahakari Dugdh Mahasangh Marvadit)** को रायपुर में देय हो मूलतः जमा करना होगा।
- (iii) निविदा शेड्यूल में अंकित स्थान एवं समय तक प्राप्त निविदाओं पर ही विचार किया जावेगा। किसी भी कारण से विलंब से प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को किसी भी कारण से अवकाश घोषित होने पर इन्हें अगले कार्यदिवस में समान निर्धारित समय तक प्राप्त किया जावेगा। इसी प्रकार निविदा खोलने की तिथि में किसी भी कारण से अवकाश घोषित होने पर इन्हें अगले कार्यदिवस में समान निर्धारित समय पर खोला जावेगा।
- (iv) ऐसे वाहन ठेकेदार जो गत वर्ष अनुबंधित किये गये थे तथा जिनका कार्य संतोषप्रद नहीं रहा, की निविदा, कमेटी/प्रबन्ध संचालक द्वारा अमान्य की जा सकेगी। इस हेतु किसी भी प्रकार का कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
- (v) निविदा स्वीकृत होने पर 100 रु. के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के साथ एवं अन्य शर्तें वाटर मार्क पेपर पर अंकित करते हुये अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (vi) आदेश देने के पश्चात 03 दिवस में वाहन कार्यालय में निरीक्षण हेतु लाकर सहायक महाप्रबंधक (यांत्रिकी), सहायक महाप्रबंधक (विपणन) एवं प्रभारी गुण नियंत्रण की गठित समिति के समक्ष निरीक्षण करवाना होगा। समय सीमा में वाहन न लाने पर धरोहर राशि राजसात करते हुये निविदा निरस्तीकरण एवं द्वितीय न्यूनतम निविदाकार को कार्य आबंटन किया जा सकेगा। खुली/सोल्ड वाहन पर निविदा स्वीकृति की स्थिति में वाहन के इन्सुलेशन हेतु अधिकतम एक माह का समय दिया जायेगा। निश्चित समय में स्वीकृत दर पर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर या निविदा की शर्तों का उल्लंघन होने पर धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
- (vii) दुग्ध विपणन मार्ग पर पड़ने वाले टोल टेक्स की राशि निविदा दर में सम्मिलित करें। निविदा प्रारंभ होने के बाद लगने वाले नये टोल टेक्स की राशि महासंघ द्वारा पृथक से देय होगी।
- (viii) अनुबंध अवधि में किसी विशेष परिस्थिति में प्रथम न्यूनतम निविदा दर वाले द्वारा वाहन नहीं लगाया जाता या अनुबंध अवधि में बीच में वाहन बंद किया जाता है तो द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदाकार को वाहन चलाने हेतु आदेश दिया जा सकेगा।
- (ix) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक होने पर लाइसेंस प्राप्त करने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा। वाहन संचालन अनुबंध प्रारंभ होने के 1 माह के भीतर लाइसेंस प्राप्त कर इसकी छायाप्रति दुग्ध महासंघ में प्रस्तुत करनी होगी।
- (x) विशेष परिस्थितियों में दूध की मात्रा कम होने पर अस्थाई तौर (अपरिहार्य कारणों से) पर दुग्ध मार्ग को बंद किया जा सकता है। माँग कम होने/अन्य कारणों से वाहन एक/अधिक दिन के अंतराल में भी संचालित की जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में असंचालन दिनों/पालियों का कोई किराया/क्लेम देय नहीं होगा।
- (xi) प्रत्येक वाहन में एक डेडीकेटेड मोबाईल नंबर उपलब्ध कराना होगा तथा वाहन में कार्यरत स्टाफ को यह मोबाईल रखना अनिवार्य होगा।
- (xii) वाहन ठेकेदार किसी भी प्रकार की हड़ताल या बन्द में सम्मिलित नहीं हो सकेगा। दुग्ध परिवहन नियमित रूप से करना होगा। ऐसा न होने की स्थिति में सम्पूर्ण हानि की जवाबदारी ठेकेदार की रहेगी।

- (xiii) सफल निविदाकार को अनुसूची 1 एवं 3 में दिये गये प्रारूप अनुसार यह शपथ पत्र देना होगा कि उसे काली सूची में नहीं डाला गया है, एवं उसका कोई भी रिश्तेदार/निकट संबंधी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है, /माननीय संचालक मंडल का सदस्य नहीं है। साथ ही संलग्न प्रारूप अनुसार सनिष्ठा निधि भी दी जानी होगी।
- (xiv) कैन/क्रेटों के लेखे-जोखे तथा रखरखाव हेतु वाहन ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (xv) बूथ, एजेंट अथवा दुग्ध वितरक से तात्पर्य मार्ग में वर्तमान में चल रहे प्वाइन्ट, बूथ, वितरण केन्द्र तथा भविष्य में महासंघ द्वारा प्रारंभ किये जाने वाले नये प्वाइन्ट से होगा। उनको आवश्यकतानुसार घटाया/बढ़ाया जा सकेगा।
- (xvi) दुग्ध वितरण वाहन ठेकेदार को अपने स्तर पर मॉग वितरण में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- (xvii) अस्वीकृत निविदा की धरोहर राशि आमंत्रित निविदा के परिप्रेक्ष्य में अंतिम निर्णय होने के तीन माह पश्चात् बिना ब्याज के रेखांकित चेक द्वारा वापसी योग्य होगी। प्राप्त न्यूनतम दर पर वाहन संचालन सहमति पर अन्य निविदाकारों की धरोहर राशि रोकते हुये प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा। इस प्रकार रोकती गयी धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। प्रतीक्षा सूची के निविदाकार को स्वीकृत निविदा के निविदाकार के संतोषप्रद तरीके से वाहन संचालन में असमर्थ रहने पर वाहन संचालन का अवसर दिया जावेगा।
- (xviii) पृथक-पृथक मार्ग पर एक ही वाहन क्रमांक की निविदा प्राप्त होने तथा स्वीकृत होने पर दुग्ध महासंघ को यह अधिकार होगा की वह किस मार्ग की निविदा स्वीकृत करे। यह निर्णय निविदाकार को मान्य होगा।
- (xix) संचालक मण्डल अथवा महासंघ में कार्यरत कर्मचारी या निकट संबंधी की निविदायें आपत्ति /जानकारी प्राप्त होने पर निरस्त कर दी जावेगी। निविदा स्वीकृत होने के बाद संबंध ज्ञात होने पर जाँच कर निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
- (xx) यदि भारत सरकार द्वारा डीजल की दरों में बढ़ोतरी/कमी की जाती हैं तो उसी अनुपात में महासंघ द्वारा वाहन ठेकेदार की परिवहन दर में संशोधन किया जावेगा। निविदा खोलने की तिथि में प्रचलित डीजल दरों को आधार माना जावेगा। परिवहन दर में आनुपातिक संशोधन हेतु वाहन का औसत निम्नानुसार निर्धारित है :-

| वाहन का प्रकार | औसत कि.मी. प्रति लीटर डीजल |
|-----------------|----------------------------|
| जीप | 15 |
| टाटा ए.सी.ई. | 22 |
| महेन्द्रा मैक्स | 15 |
| डी.आई. 207 | 15 |
| पिकअप | 15 |
| टाटा 407 | 10 |

- (xxi) प्राकृतिक विपदा व हड़ताल जैसे कारणों से अथवा अन्य किसी कारणवश वाहन का उपयोग नहीं किया जाता है तो किसी भी प्रकार का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा देय नहीं होगा।

8. अनुबंध :-

- (i) निविदा स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर वाहन संचालन प्रारंभ होने से पूर्व निविदाकार को संलग्न प्रारूप अनुसार रु. 100/- के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (ii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को समय-समय पर अनुबंध की शर्तों के परिवर्तन/परिवर्धन करने का अधिकार होगा, जिसे वाहन ठेकेदार मानने हेतु बाध्य होगा।
- (iii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक होने पर लाईसेंस प्राप्त करने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा। अनुबंध अवधि प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेंस प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध महासंघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में देयकों का भुगतान लंबित रखा जावेगा।
- (iv) वाहन ठेकेदार को कार्यादेश प्राप्त होने पर 1 माह के अंदर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा निर्धारित प्रारूप में दुग्ध महासंघ के उत्पादों का विज्ञापन अनुबंधित वाहनो पर लिखवाना होगा। इंसुलेटेड वाहनों में महासंघ उपयुक्त विनाईल लगवायेगा जिसके लिये 2 टन क्षमता तक की वाहनों पर रु. 3,000/- तथा बड़ी वाहनों हेतु रु. 5,000/- परिवहन ठेकेदार के प्रथम देयक से काटा जावेगा। सामान्य वाहनों पर निविदाकार द्वारा उपयुक्त विज्ञापन जिसमें संपर्क नंबर लिखा हो स्वयं लगवाये जायेंगे।

9. सीमांकन क्षेत्र :-

- (i) किसी भी/समस्त निविदाओं को आंशिक/संपूर्ण रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का समस्त अधिकार प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के पास सुरक्षित रहेगा।
- (ii) निविदाकर्ता तथा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के मध्य में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अनुबंध के नियम एवं शर्तें दोनों पक्षों को मान्य होगी। मतभेद की स्थिति में अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

10. न्यायालयीन प्रक्रिया का कार्यक्षेत्र :-

- (i) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में समस्त विवादों के निपटारे के लिए न्यायिक कार्यक्षेत्र रायपुर (छ.ग.) होगा।

11. घोषणा :- निविदाकार द्वारा निविदा भरा जाना इस तथ्य का द्योतक है कि उसने निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पूर्ण निविदा प्रपत्र (नियम एवं शर्तें, अनुबंध की कंडिकाएँ आदि) का भली भाँति अध्ययन कर समझ लिया है, एवं कोई भी तथ्य/कंडिका समझ न आने पर कार्यालय से उस पर पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली है, तथा वह महासंघ की निविदा में दर्ज नियम एवं शर्तों एवं अनुबंध की कंडिकाओं के अनुरूप कार्य करने पर सहमत है। निविदा भरे जाने के पश्चात् किसी भी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा।

प्रबन्ध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

दुग्ध वितरण मार्ग का विवरण

॥ दुग्ध विपणन परिवहन हेतु निविदा सूचना ॥

संदर्भ :- निविदा क्रमांक / 2220 / छ.ग.दु.म.सं. / विपणन / 2021 उरला, दिनांक 26.10.2021

| सरल क्र. | मार्ग क्र. | मार्ग विवरण | अनुमानित दूरी किलो. | भार क्षमता टन | शहर |
|----------|------------|--|---------------------|---------------|------------------------------|
| 1 | 51 | उरला-रायपुर-खरोरा-तिल्दा-उरला | 125 / 200 | 2.0 | रायपुर-खरोरा-तिल्दा |
| 2 | 1 | उरला-रायपुर-उरला सुबह पाली द्वितीय वाहन | 80 | 2.0 | रायपुर एवं आस-पास |
| 3 | 6 | उरला-दुर्ग-उरला | 100 | 3.0 | दुर्ग एवं आस-पास |
| 4 | 10 | उरला-बेमेतरा-कबीरधाम-नवोदय-गंडई-उरला | 307 | 2.0 | बेमेतरा, कबीरधाम एवं आस-पास |
| 5 | 54 | जगदलपुर स्थानीय | 30 | 0.5 | जगदलपुर एवं आस-पास |
| 6 | 18 | कोनी बिलासपुर-बिलासपुर-शहर-कोनी सुबह पाली | 50 | 3.0 | बिलासपुर एवं आस-पास |
| 7 | 20 | बिलासपुर शाम पाली | 60 | 1.5 | बिलासपुर एवं आस-पास |
| 8 | 21 | बिलासपुर-सीपत-बिलासपुर | 100 | 1.5 | बिलासपुर एवं आस-पास |
| 9 | 22 | बिलासपुर-सकरी-कोटा-बिलासपुर | 100 | 1.5 | बिलासपुर एवं आस-पास |
| 10 | 27 | बिलासपुर-कोरबा-कटघोरा-एन.टी.पी.सी.-बिलासपुर | 280 | 4.0 | बिलासपुर, कोरबा एवं आस-पास |
| 11 | 28 | बिलासपुर-कोरबा-वाया दीपका गेवरा-बिलासपुर | 285 | 4.0 | बिलासपुर, कोरबा एवं आस-पास |
| 12 | 30 | बिलासपुर-मस्तूरी (ज.न.वि.) अकलतरा-जांजगीर-बलोदा-बिलासपुर | 200 | 2.0 | बिलासपुर एवं आस-पास |
| 13 | 36 | रायगढ़-खरसिया-रायगढ़ | 80 | 1.0 | रायगढ़ एवं आस-पास |
| 14 | 37 | रायगढ़-नलवा-कुंजीपतला-रायगढ़ | 97 | 1.5 | रायगढ़ एवं आस-पास |
| 15 | 38 | दुबछोला से चिरमिरी | 65 | 1.0 | दुबछोला से चिरमिरी |
| 16 | 39 | कटघोरा से बैकुंठपुर | 296 | 2.0 | कटघोरा, बैकुंठपुर एवं आस-पास |
| 17 | 44 | उरला-रायपुर-मंदिर हसौद-नवा रायपुर- उरला | 128 | 2.0 | रायपुर एवं आस-पास |
| 18 | 45 | बिलासपुर-चकरभाटा-बिल्हा-बिलासपुर | 70 | 1.5 | बिलासपुर एवं आस-पास |
| 19 | 49 | बिलासपुर-तखतपुर-मूंगेली-लोरमी-बिलासपुर | 178 | 1.0 | बिलासपुर, मूंगेली एवं आस-पास |
| 20 | 53 | दल्लीराजहरा-नारायणपुर-दल्लीराजहरा | 260 | 2.0 | नारायणपुर एवं आस-पास |
| 21 | 54 | भानुप्रतापपुर-पखांजूर-बांदे-भानुप्रतापपुर | 200 | 1.0 | पखांजूर एवं आस-पास |

नोट :- 1.नवीन निविदा में सरल क्रमांक 1 मार्ग क्रमांक 51 की वाहन जो वर्तमान में दोंदेखुर्द तक चल रही है, को ए.मी.टी/आई.टी.बी.पी. खरोरा एवं तिल्दा तक 1 दिवस के अंतराल में चलाने के लिए दरें आमंत्रित हैं। यह संचालन जो की आवश्यकतानुसार होगा, में वाहन अंतराल में अनुमानित 125/200 कि.मी. चलेगी, अर्थात वाहन कुछ दिन 125 कि.मी. एवं कुछ दिन 200 कि.मी. चलेगी। इस मार्ग के लिए दरें केवल प्रति किलोमीटर आधार पर ही दी जानी है।

2.सरल क्रमांक 5 मार्ग क्रमांक 54 के वाहन का संचालन आवश्यकतानुसार किया जावेगा।

कार्यालय—छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित
ग्राम—उरला,पोस्ट—बी.एम.वाय.चरोदा जिला—दुर्ग (छ.ग.)

॥ निविदा फार्म वर्ष 2021—22—दुग्ध विपणन परिवहन हेतु निविदा सूचना ॥

क्रमांक / 2220 / छ.ग.दु.म.सं. / विपणन / 2021

उरला, दिनांक 26.10.2021

प्रति,

प्रबन्ध संचालक,

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.,

ग्राम—उरला, पोस्ट—बी.एम.वाय.चरोदा, जिला—दुर्ग (छ.ग.)

महोदय,

निविदाकार का
फोटो

मैंने आपके कार्यालय द्वारा जारी दुग्ध विपणन परिवहन निविदा एवं संबंधित अनुबन्ध की शर्तें पढ़ ली है। मैं सरल क्रमांक मार्ग क्र. मार्ग विवरण में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के नियम, शर्त एवं अनुबंध की कंडिकाओं अनुसार इंसुलेटेड/सामान्य वाहन संचालन का इच्छुक हूँ। यदि यह निविदा स्वीकृत की जाती है, तो मैं आवश्यक अनुबंध करने को तैयार हूँ। धरोहर राशि रु. (अक्षरी रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न है। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में अपना वाहन नियत दिनांक एवं समय पर उपलब्ध कराऊंगा। वांछित जानकारी निम्नानुसार है—

- (1) निविदाकार का नाम _____
- (2) पिता का नाम _____
- (3) स्थायी पूरा पता _____
- (4) दूरभाष / मोबाईल नंबर _____
- (5) निविदा विवरण :-

| मार्ग का विवरण | अनुमानित दूरी (मार्ग विवरण में दर्ज अनुसार लिखें) | वाहन का प्रकार | वाहन क्षमता | मॉडल | वाहन क्रमांक | दर रु. प्रतिकिलोमीटर / प्रति ट्रिप | दर किस वाहन हेतु है, (✓) अंकित करें | |
|----------------|---|----------------|-------------|------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| | | | | | | | इंसुलेटेड | सामान्य |
| | | | | | | | | |

नोट :- इंसुलेटेड वाहन को वरीयता है, स्पष्ट उल्लेख न होने पर यह माना जावेगा, कि दी गई दरें इंसुलेटेड वाहन के लिये ही हैं।

- (6) वाहन की वर्तमान स्थिति इंसुलेटेड/सामान्य अंकित करें (जानकारी वाहन इंसुलेशन में वांछित समय के लिये आवश्यक)
- (7) वाहन के वैध पंजीयन, अद्यतन बीमा, फिटनेस एवं परमिट सर्टिफिकेट इत्यादि कागजातों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न है।
- (8) बैंक पास बुक की छायाप्रति एवं पेन कार्ड नंबर _____ (छायाप्रति संलग्न हैं)

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम—

फोन नंबर —

मोबाइल नंबर

॥ घोषणा पत्र ॥

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य है। मुझे छ0ग0 राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ की सभी शर्तें मान्य हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो दुग्ध महासंघ का निर्णय अंतिम एवं मुझे मान्य होगा।

निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकार का पूरा नाम :

पता :

.....

मोबाईल नंबर :

दुग्ध विपणन कार्य हेतु अनुबन्ध

फोटो द्वितीय
पक्ष

दुग्ध विपणन परिवहन खुला क्रमांक/2220/छगदुमसं/विपणन/ 2021 उरला, दिनांक 26.10.2021 के तारतम्य में यह अनुबंध पत्र इन्सुलेटेड/खुली वाहन संचालन हेतु आज दिनांक को लिखा गया जिसका प्रथम पक्ष प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित उरला बी.एम.वाय. चरोदा जिला दुर्ग या उनके प्रतिनिधि एवं द्वितीय पक्ष श्री/श्रीमती/कुमारीपिता/पति श्री..... निवासी... है। प्रथम पक्ष को आगे महासंघ एवं द्वितीय पक्ष को आगे वाहन ठेकेदार के नाम से संबोधित किया जावेगा।

यह अनुबन्ध उभय पक्षकारों के बीच दुग्ध विपणन मार्ग क्रमांक ----- मार्ग विवरण
----- वाहन ठेकेदार की वाहन
क्रमांक-----माडल ----- भार वाहन
क्षमता----- टन, को रूपये ----- शब्दों में
----- प्रति कि.मी./प्रति पाली
की दर से अनुमानित दूरी ----- कि.मी. पर संचालन हेतु आज दिनांक ----- को
निम्नलिखित शर्तों पर दुग्ध विपणन कार्य हेतु निष्पादित किया गया :-

- (1) यह अनुबन्ध अवधि दिनांक ----- से ----- तक रहेगा । महासंघ को यह अवधि इन्हीं शर्तों के अधीन एक वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार होगा।
- (2) इन शर्तों को दुग्ध विपणन परिवहन ठेके की शर्तें कहा जायेगा। शर्तों में जहाँ - जहाँ महासंघ शब्द आयेगा, उसका तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या., उरला, जिला- दुर्ग माना जावेगा । डेयरी का तात्पर्य सामग्री प्रदाय स्थल होगा जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के अंतर्गत मुख्य संयंत्र उरला/ कोनी बिलासपुर/बाबू सेमरा जगदलपुर/कोतरा रोड रायगढ़/गांधी चौक अंबिकापुर से होगा ।
- (3) वाहन ठेकेदार द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ जमा की गई धरोहर राशि रु. अक्षरी राशि रु. सुरक्षा राशि के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या., के पास जमा रहेगी जिस पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा । इस राशि की वापसी हेतु अनुबन्ध अवधि की समाप्ति पर विपणन शाखा, लेखा शाखा, सुरक्षा अनुभाग, वितरक एवं अन्य संबंधितों से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करते हुये आवेदन महासंघ में प्रस्तुत करना होगा। लेनदारी/देनदारी का समायोजन अंतिम देयक से महासंघ द्वारा तीन माह के अंदर किया जायेगा। महासंघ को अनुबन्ध समय समाप्त होने या अन्य वजह से अनुबन्ध समाप्त होने पर एक माह के भीतर मार्ग के संबंधित इकाइयों से अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (4) निविदा में वांछित क्षमता का वाहन ही उपलब्ध कराया जाना होगा । वाहन में वांछित क्षमता के अनुरूप लोडिंग व्यवस्था न होने पर हुई डिमांड कटौती की प्रत्येक स्थिति में कटौती मात्रा की उपभोक्ता दर पर 10 गुनी राशि का कटौती परिवहन ठेकेदार के परिवहन देयक से किया जावेगा । इसी प्रकार परिवहन नियमों के अनुरूप वाहन संचालन की जिम्मेदारी वाहन ठेकेदार की होगी । ओवर लोडिंग या अन्य किसी भी कारण से सक्षम अधिकारी द्वारा की गई समस्त शास्तियों/अर्थदंड हेतु वाहन ठेकेदार ही जवाबदेह एवं उत्तरदायी रहते हुये इनका वहन अपने व्यय पर करेगा ।
- (5) महासंघ के निर्देशानुसार प्रतिदिन सुबह/शाम एक पाली अथवा दोनों पाली में निर्धारित समय पर वाहन लोडिंग हेतु संबंधित डेयरी/शटल पाईट स्थान पर लगाकर समय पर वितरण संपन्न कराना तथा खाली क्रेट/कैन नियमित रूप से डेयरी/शटल पाईट तक लाना वाहन ठेकेदार की जवाबदारी होगी। इस हेतु महासंघ/डेयरी द्वारा समय समय पर आवश्यकता अनुसार दी गई निर्धारित समय सारणी वाहन ठेकेदार को मान्य होगी।

(6) वाहन ठेकेदार को प्रातः पाली में प्रदायित क्रेट उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे तक डेयरी में जमा करना आवश्यक होगा। शाम पाली में प्रदायित क्रेट रात्रि 10:30 तक जमा करना आवश्यक होगा। आवश्यक होने पर केवल शटल स्थानों से संचालित वाहनों को इस कांडिका से आंशिक छूट दी जा सकेगी। निर्धारित समय के बाद क्रेट प्राप्त होने पर उस दिन के परिवहन देयक की राशि या रू. 500/— जो भी कम हो, का कटौती परिवहन देयक से किया जावेगा। बाजार स्थिति के दृष्टिगत 1/16 तारीख को प्रदायित क्रेट का अधिकतम 15 प्रतिशत बाजार में छोड़ने की अनुमति होगी। किसी भी तिथि में इससे अधिक क्रेट बकाया होने पर रू. 5/— प्रतिदिन प्रति क्रेट की दर पर राशि का कटौती परिवहन देयक से किया जावेगा। प्रत्येक माह की 15 तारीख एवं अंतिम तिथि में शत् प्रतिशत क्रेटो की वापसी आवश्यक होगी। कम प्राप्त क्रेटो की प्रचलित क्रय दर के आधार पर गणना की गई राशि का कटौती परिवहन देयक से किया जावेगा।

रात्रि पाली में लोडिंग हेतु वाहनों की रिपोर्टिंग 10:30 बजे तक आवश्यक होगी। निर्धारित समय के बाद वाहन आने पर रू. 500/— प्रति ट्रीप का कटौती परिवहन देयक से किया जायेगा। इसी प्रकार शासकीय नियमों जैसे वर्तमान में मास्क लगाना, वाहन में सैनीटाइजर रखना आदि का पालन अनिवार्य होगा। मास्क नहीं लगा होने/प्रचलित नियमों का पालन नहीं होने की स्थिति में रू. 500/— प्रति ट्रीप का कटौती परिवहन देयक से किया जावेगा। इस संबंध में डेयरी डाक सहायक की रिपोर्टिंग पर्याप्त आधार होगी।

(7) किसी भी कारण से यदि विपणन मार्ग पर दुग्ध विपणन कार्य बंद रहता है तो वाहन ठेकेदार को महासंघ से कोई भाड़ा नहीं दिया जायेगा व इसकी सूचना समय पर कर दी जायेगी। माँग कम रहने पर वाहन संचालन एक दिन के अंतराल में भी किया जा सकेगा।

(8) निविदाकार को वाहन मालिकी हक का होना आवश्यक होगा। इस हेतु पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें। इसे मूल प्रति से सत्यापित कराना होगा। वाहन संचालन हेतु निष्पादित किये गये अनुबंध में संचालित हो रही वाहन का पंजीयन क्रमांक दर्ज किया जावेगा। बिना पूर्व अनुमति/सूचना के आदेशित वाहन के अन्य वाहन लगाये जाने पर इस अवधि के परिवहन देयक में 50 प्रतिशत राशि का कटौती किया जावेगा।

(9) मार्ग की दूरी महासंघ के अधिकारी व वाहन ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में सत्यापित की जावेगी। यदि वाहन ठेकेदार या प्रतिनिधि समय पर नहीं आते हैं तो अधिकारी द्वारा सत्यापित दूरी मान्य होगी।

(10) महासंघ के कार्य हेतु महासंघ के अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में ले जाना होगा। महासंघ एवं संयंत्रों द्वारा दी गई दैनिक प्रतिपाली डाक, चालान आदि नियमित रूप से ले जानी, लानी होगी।

(11) महासंघ की सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा सामान एवं सवारी दूध वाहन में नहीं ले जाया जायेगा। महासंघ के अधिकारी द्वारा निरीक्षण एवं जाँच के समय यदि उपरोक्त अनियमितता पायी गयी तो उस पाली का भाड़ा महासंघ द्वारा देय नहीं होगा। लगातार तीन बार शिकायतें रहती हैं तो वाहन संचालन आदेश निरस्त कर जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं आगामी दो वर्षों तक महासंघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

(12) मार्ग पर विक्रय केन्द्रों/संस्थाओं को महासंघ द्वारा भेजे जाने वाले सामानों को लाने अथवा ले जाने के लिए एवं उसका ठीक हिसाब रखने हेतु वाहन ठेकेदार बाध्य होगा।

(13) वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि यह खराब हो जाता है तो 24 घंटों में पुनः वाहन ठेकेदार द्वारा सुधरवाया जावेगा।

(14) वाहन ठेकेदार द्वारा जो कर्मचारी वाहन पर नियुक्त किये जायेंगे, वे महासंघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे। वाहन स्टाफ को खाकी पैट एवं शर्ट पहनना आवश्यक होगा। निर्धारित गणवेश की व्यवस्था निविदाकार को अपने व्यय पर करनी होगी। वाहन में कार्यरत स्टाफ को प्रदायित संस्थानों/उपभोक्ताओं से व्यवसायोचित व्यवहार करना आवश्यक होगा। अभद्र व्यवहार की शिकायत आने पर तत्काल स्टाफ को बदलना आवश्यक होगा।

(15) निविदा नियम एवं शर्तों अनुसार डेडीकेटेड मोबाईल नंबर जो वाहन में उपलब्ध करा दिया गया है, हमेशा चालू स्थिति में डाटा पैक के साथ इस प्रकार रखा जायेगा कि वाहन का लाईव लोकेशन लगातार ज्ञात किया जा सके। वाहन ठेकेदार द्वारा लगाये गये स्टाफ को सभ्यता एवं व्यवसायिक मापदण्ड अनुरूप व्यवहार करना होगा। असभ्य व्यवहार, शिकायत एवं लापरवाही बरते जाने पर महासंघ के आदेशानुसार ठेकेदार को अपने स्टाफ पर कार्यवाही कर उन्हें कार्य से अलग करना होगा। ऐसा न करने पर महासंघ सुरक्षा राशि राजसात करते हुये ठेका निरस्त कर सकता है। वाहन ठेकेदार अथवा वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा मार्ग में विक्रय केन्द्रों के कर्मियों, अन्य व्यक्तियों/कर्मचारियों से किसी तरह का नगद लेन-देन नहीं किया जावेगा। इसके उपरांत यदि लेन-देन किया जाता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी वाहन ठेकेदार की होगी।

- (16) वाहन ठेकेदार का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा राशि राजसात करते हुये निविदा निर्धारित अवधि से पूर्व ही निरस्त की जा सकती है।
- (17) वाहन ठेकेदार बिना महासंघ की अनुमति के विपणन कार्य हेतु वाहन नहीं बदल सकता व वाहन खराब होने की स्थिति में केवल एक दिन के लिए बिना अनुमति के वाहन बदल सकेगा। इसके अतिरिक्त यदि वाहन की मरम्मत में एक दिन से अधिक का समय लगता है तो महासंघ की लिखित अनुमति से ही उस अवधि तक के लिए दूसरा वाहन चला सकता है, परंतु लगाई गई वैकल्पिक वाहन अच्छी स्थिति में, समान भार क्षमता एवं इंजुलेटेड वाहन संचालन आदेश की स्थिति में वैकल्पिक वाहन भी इंजुलेटेड होना आवश्यक है। इनमें से किसी भी मापदण्ड का पालन न होने पर स्वीकृत दर का 50 प्रतिशत ही भुगतान किया जावेगा, एवं ऐसी स्थिति लगातार 5 दिन से अधिक रहने पर सुरक्षा राशि राजसात करते हुये संचालन आदेश निरस्त किया जा सकेगा, साथ ही महासंघ द्वारा की गई वैकल्पिक व्यवस्था में दर अंतर की राशि वाहन ठेकेदार के लंबित देयकों से वसूल की जावेगी।
- ठेके की अवधि में यदि वाहन ठेकेदार किसी दिन वाहन दूध वितरण करने में असफल रहता है तो उस दिन के आदेशित संपूर्ण दूध एवं दुग्ध उत्पाद की उपभोक्ता दर पर राशि दंड स्वरूप वाहन ठेकेदार से वसूल की जावेगी तथा उस दिन के परिवहन देयक का भुगतान नहीं किया जावेगा। दंडित राशि के उत्पाद वाहन ठेकेदार को नहीं दिये जायेंगे। ऐसी स्थिति निर्मित होने पर यदि महासंघ वैकल्पिक व्यवस्था कर वितरण कार्य संपन्न कराता है तो ऐसी प्रत्येक घटना पर इस व्यवस्था में हुये अतिरिक्त व्यय की राशि दस हजार रुपये के अर्थदंड के साथ वसूल की जावेगी। रास्ते में वाहन खराब होने/दुर्घटना ग्रस्त होने पर वाहन ठेकेदार को अपनी जिम्मेदारी तथा व्यय पर वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा दूध/दुग्ध पदार्थ को निश्चित जगह पर निर्धारित समय पर पहुँचना होगा। ऐसी परिस्थिति में हुए नुकसान की कोई प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा नहीं की जावेगी, तथा नुकसान की वसूली वाहन ठेकेदार से की जावेगी। वैकल्पिक व्यवस्था में विलंब होने पर हुये नुकसान की भरपाई द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से की जावेगी। दूध एवं दुग्ध पदार्थ अपने गंतव्य तक न पहुँच पाने की प्रत्येक स्थिति में इनकी उपभोक्ता दर पर राशि रु. 10,000/- के अर्थदण्ड के साथ वाहन ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
- (18) वाहन ठेकेदार को कार्यादेश प्राप्त होने पर 1 माह के अंदर दुग्ध महासंघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में दुग्ध महासंघ के उत्पादो का विज्ञापन अनुबंधित वाहनो पर लिखवाना होगा। इंजुलेटेड वाहनो में महासंघ उपयुक्त विनाईल लगवायेगा जिसके लिये 2 टन क्षमता तक की वाहनो पर रु. 3,000/- तथा बड़ी वाहनो हेतु रु. 5,000/- परिवहन ठेकेदार के प्रथम देयक से काटा जावेगा। सामान्य वाहनो पर निविदाकार द्वारा उपयुक्त विज्ञापन जिसमें संपर्क नंबर लिखा हो स्वयं लगवाये जायेंगे। विज्ञापन निर्धारित अवधि तक नहीं लगवाने पर रु. 100.00 प्रतिदिन आर्थिक दण्ड भी लगाया जावेगा।
- (19) वाहन ठेकेदार अनुबन्ध अवधि में यदि ठेके हस्तांतरण करना चाहेगा तो प्रबन्ध संचालक की अनुमति से रुपये 10,000/- (अक्षरी रूपये दस हजार मात्र) हस्तांतरण शुल्क महासंघ कार्यालय में जमा कर स्वीकृत दर पर वाहन की स्वीकृत क्षमता, अनुबन्ध की शर्त मान्य करने वाले अन्य व्यक्ति को जिसके नाम से वाहन हो, अनुबन्ध की शेष अवधि के लिए अनुबन्ध की शर्तों को मान्य कराते हुए हस्तांतरित कर सकेगा। इस प्रकार के हस्तांतरण की कार्यवाही 10 दिन पूर्व कार्यालय में उपस्थित होकर सम्पन्न करना होगा। अनुबन्ध से प्रथम तीन माह तक ठेका हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- (20) दुग्ध विपणन में सामान्य (नॉन इंजुलेटेड) वाहन में गर्मी एवं वर्षा से बचाव के लिए वाहन ठेकेदार को वाहन पर हुड/त्रिपाल/तालपत्री लगाना अनिवार्य होगा। हुड/त्रिपाल/तालपत्री के ना होने पर ऐसे प्रत्येक अवसर/ट्रीप पर रु. 500/- पेनाल्टी की जावेगी।
- (21) रास्ते में मिलावट करते हुए/दूध बेचते हुए/चोरी करते हुए पकड़े जाने पर नुकसान की वसूली एवं रु. 10,000/- जुर्माना किया जावेगा। ऐसी गलती दोबारा होने पर सुरक्षा राशि राजसात करते हुये ठेका निरस्त किया जा सकेगा।
- (22) दस्तावेजों में कोई भी हेराफेरी करने पर सुरक्षा राशि राजसात करते हुये ठेका निरस्त कर भरपाई वाहन ठेकेदार से की जावेगी।
- (23) वाहन ठेकेदार के वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध सरकारी कानून के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी वाहन ठेकेदार की रहेगी व इस वजह से यदि महासंघ या इसकी किसी इकाई/संस्था को हानि होगी, तो वह वाहन ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
- (24) डेयरी की परिधि के अन्दर आने वाली वाहन निर्धारित रफ्तार से ज्यादा गति से नहीं चलाई जावेगी, न ही डेयरी परिधि में वाहन की साफ सफाई की जायेगी। इसी प्रकार वाहन ठेकेदार के वाहन ठेकेदार/हेल्पर द्वारा प्लांट परिसर में अनुशासन भंग कार्य किये जाने पर प्रथम पक्ष को स्वविवेकानुसार पेनाल्टी करने का अधिकार होगा। वाहन का डेयरी डाक पर प्रतिदिन निरीक्षण किया जावेगा। वाहन साफ न होने पर डेयरी डाक सहायक की रिपोर्ट के आधार पर ऐसी प्रत्येक अवसर पर रु. 200/- का कटौती वाहन ठेकेदार के देयक से किया जावेगा। इस संबंध में डेयरी डाक सहायक से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट ही पर्याप्त आधार होगी।

- (25) स्वीकृत दर अनुबंधित अवधि में लागू रहेंगे। ठेकेदार को अनुबन्ध अवधि में वाहन हेतु उपयोग में आने वाले डीजल/आईल की व्यवस्था किसी भी परिस्थितियों में स्वयं करनी पड़ेगी। इसके लिए किसी प्रकार से व्यवस्था की जवाबदारी महासंघ की नहीं रहेगी। अनुबंधित वाहन में ईंधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जब्त किया जाता है तो वाहन ठेकेदार को विपणन के लिए अन्य वाहन की व्यवस्था करनी होगी।

निविदा खोले जाने की तिथि में प्रचलित डीजल दर को आधार डीजल दर मानते हुये अनुबन्ध अवधि में डीजल की दर में वृद्धि/कमी होने पर अनुपातिक दर से वृद्धि/कमी की गणना निम्नानुसार की जावेगी :-

वाहन का प्रकार **औसत कि.मी. प्रति लीटर डीजल**

| | |
|-----------------|----|
| जीप | 15 |
| टाटा ए.सी.ई. | 22 |
| महेन्द्रा मैक्स | 15 |
| डी.आई. 207 | 15 |
| पिकअप | 15 |
| टाटा 407 | 10 |

- (26) वाहन ठेकेदार यदि अनुबंध अवधि के बीच में ठेका/अनुबंध समाप्त करना चाहेगा तो उसे महासंघ को तीन माह पूर्व लिखित में सूचना देना होगा, एवं वैकल्पिक व्यवस्था होने तक वाहन संचालन जारी रखना होगा। यदि तीन माह पूर्व ठेका समाप्ति की सूचना नहीं दी जाती है तो महासंघ को वाहन ठेकेदार की सुरक्षा राशि राजसात करने का अधिकार होगा।
- (27) वाहन ठेकेदार को वाहन के साथ कम से कम एक कर्मचारी वाहन चालक के अतिरिक्त रखना होगा जो सामान उतारने एवं चढ़ाने हेतु सहायता एवं सामान की देख रेख करेगा। दुग्ध परिवहन वाहन पर रखे गये वाहन चालक, परिचालक की उम्र 18 वर्ष से कम न हो तथा वह लाइसेंसशुदा हो। कर्मचारी के नाम एवं पूर्ण पता फोटो सहित महासंघ को लिखित में देना होगा एवं वाहन चालक के पास मोबाईल होना अनिवार्य आवश्यक होगा। यदि अनुबंधित वाहन मार्ग पर किसी कारण से विलम्ब होती है तो उसकी सूचना संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक एवं आगे के विक्रय केन्द्रों/संस्थाओं को उनके सम्पर्क नंबरों पर अवगत कराना होगा।
- (28) बूथ एजेंट/एजेंसी/वितरक/संस्था को दूध देने के पश्चात मात्रा प्राप्ति की रसीद वाहन ठेकेदार को संबंधित से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ मर्यादित के अधिकृत प्रतिनिधि को देनी होगी। प्राप्ति की रसीद बूथ एजेंट/एजेंसी/वितरक/संस्था के हस्ताक्षरयुक्त नहीं होने पर यदि दूध/दुग्ध पदार्थ की मात्रा के संबंध में विवाद हुआ तो अंतर की राशि वाहन ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
- (29) महासंघ को निर्धारित मार्ग को बढ़ाने, घटाने या पुनर्संरचित करने का अधिकार रहेगा। इस तरह जितना भी दूरी बढ़े या घटे उसमें निर्धारित दर/वास्तविक व्यय से भाड़ा घटाया अथवा बढ़ाया जा सकेगा।
- (30) उपरोक्त शर्तों का पालन करने तथा महासंघ द्वारा समय-समय पर दिये गए निर्देशों/आदेशों और सूचनाओं का पालन करने हेतु वाहन ठेकेदार बाध्य होगा, अन्यथा कभी भी ठेका निरस्त करने का अधिकार महासंघ को होगा तथा सुरक्षा की राशि राजसात की जा सकेगी।
- (31) प्रबंध संचालक को महासंघ के हित में यह अधिकार होगा की वह परिवहन ठेके को आवश्यकता न पड़ने पर बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सके।
- (32) एकसीडेन्ट एवं अन्य परिस्थितियों में ठेके के अन्तर्गत कार्यरत वाहन उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जब्त कर ली जाती है तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की या तीसरे पक्ष को होने वाली क्षति की पूर्ति की पूर्ण जवाबदारी वाहन के ठेकेदार की होगी एवं महासंघ के सामान के क्षति की राशि की वसूली वाहन ठेकेदार से की जायेगी। साथ ही दुर्घटना के कारण होने वाली सभी देनदारियों/मुआवजा की जवाबदारी अकेले वाहन ठेकेदार पर ही होगी।
- (33) अनुबंध निष्पादन के पश्चात् वाहन ठेकेदार को अनुबंध की अवधि के दौरान समस्त श्रम विधान जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. पर लागू हो अथवा जो समय-समय पर विधान द्वारा लागू किये जावेंगे मान्य होंगे। ऐसे सभी विधान के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में समस्त देय राशि जैसे ई.एस. आई. अधिनियम के अन्तर्गत ई.एस.आई. उपादान, भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत भविष्य निधि उपादान तथा वेतन भत्ता अधिनियम के अन्तर्गत वेतन आदि की जवाबदारी वाहन ठेकेदार की होगी। यदि वाहन ठेकेदार उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का भुगतान करने में असफल पाया जाता है अथवा उसके द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो समस्त लेनदारी उसके बिलों में से काटने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. रायपुर को होगा एवं ऐसे कटौती के लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा। शासन द्वारा सेम्पल डिक्लेरेशन U/S 194 C(6) फार नान डिक्लेरेशन आफ टैक्स एट सोर्स भरकर जमा करना होगा। **ठेका समाप्त होने पर वाहन ठेकेदार को समस्त देयताएं पूर्ण करने का शपथपत्र देना होगा।**

- (34) इस अनुबन्ध एवं इसकी शर्तों में समय-समय पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. के नियमों विनियमों एवं शर्तों के अनुसार परिवर्तित/परिवर्धित की जा सकती है जिसे वाहन ठेकेदार मानने को बाध्य होगा ।
- (35) इस अनुबन्ध पत्र के अन्तर्गत विषयों से संबंधित उभयपक्षों के मध्य उत्पन्न विवाद का निराकरण सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जायेगा ।
- (36) अनुबंध करते समय वाहन ठेकेदार को स्टेट बैंक आफ इंडिया का बचत खाता क्रमांक एवं स्थायी खाता नंबर (पैन) कार्ड की सत्यापित छायाप्रति जमा करना आवश्यक होगा ।
- (37) वाहन चालक मद्यपान या अन्य किसी नशे की हालत में के वाहन न चलाए। वाहन चालकों की वाहन ठेकेदार द्वारा निरंतर चैकिंग की जाकर दोषियों को सेवा से पृथक किया जाना होगा ।
- (38) महासंघ के द्वारा जो भी निर्धारित दुग्ध विपणन मार्ग निश्चित किया गया है, उसी पर वाहन खाली/भरी चलावें, यदि सत्यापन के समय पाया गया कि वाहन निर्धारित मार्ग से नहीं चलाया जा रहा है तो अधिकतम एक पाली के परिवहन का आर्थिक दण्ड किया जावेगा। साथ ही परिवर्तित मार्ग से जो दूरी कम होगी उसका सम्पूर्ण अनुबंध अवधि का कटौती किया जावेगा ।
- (39) किसी दुग्ध संयंत्र में अवरोध होने पर विपणन वाहनों को निकट के अन्य संयंत्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा ।
- (40) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक होने पर लाईसेंस प्राप्त करने का उत्तरदायित्व वाहन ठेकेदार का होगा। अनुबंध अवधि प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेंस प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध महासंघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।
- (41) वाहन ठेकेदार अपना वारिस श्री/श्रीमती/कु. संबंध उम्र को पूर्ण होशोहवास में नामांकित घोषित करता है। द्वितीय पक्ष की मृत्यु उपरांत श्री/श्रीमती/कु. को महासंघ से व्यवहार करने का अधिकार रहेगा। इसकी स्वीकृति के वारिस के हस्ताक्षर करवा कर महासंघ को वाहन ठेकेदार देगा ।
- (42) इस अनुबंध के अंतर्गत यदि कोई राशि महासंघ, इसकी इकाइयों, संस्थाओं, व्यवसायिक साझेदारों आदि की निकलेगी तो महासंघ को वाहन ठेकेदार की चल/अचल सम्पत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसके लिए भी वाहन ठेकेदार और उसका उत्तराधिकारी जिम्मेदार रहेंगे ।
- (43) दुग्ध विपणन मार्ग पर पड़ने वाले टोल टेक्स निविदा दर में ही सम्मिलित हैं। जिन मार्गों पर नये टोल टेक्स प्रारंभ होंगे, उनके लिए अलग से भुगतान महासंघ द्वारा किया जावेगा ।
- (44) समस्त विवादों के निपटारे के लिये न्यायिक कार्य क्षेत्र रायपुर (छ.ग.) होगा ।
- (45) दुग्ध विपणन परिवहन हेतु अनुबंध की कंडिकाएं 01 से 44 तक मैंने अपने पूर्ण होशोहवाश से पढ़ ली है जो मुझे मान्य एवं बाध्यकारी है ।

इस अनुबन्ध पत्र पर उभय पक्ष द्वारा आज दिनांक _____ को दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किये गये तथा सुरक्षा राशि (अक्षरी राशि रु.) मात्र छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. जिला रायपुर में देय डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक _____ दिनांक _____ को जमा किया गया ।

मैं वाहन ठेकेदार अनुबंध की कंडिकाओं का अवलोकन भलि भांति एवं पूर्ण होशोहवास में कर लिया है एवं निम्न साक्षियों के समक्ष महासंघ से अनुबंध निष्पादित करता हूं।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

प्रबन्ध संचालक/प्रतिनिधि

अनुबन्धकर्ता

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.
प्रथम पक्ष

नाम _____
पता _____

वाहन ठेकेदार द्वितीय पक्ष

गवाह प्रथम पक्ष

1- हस्ताक्षर-----
नाम -----
पता -----

2- हस्ताक्षर-----
नाम -----
पता -----

गवाह द्वितीय पक्ष

1-हस्ताक्षर-----
नाम -----
पता -----

आधार क्रमांक -----
मो. क्रमांक -----

2-हस्ताक्षर-----
नाम -----
पता -----
आधार क्रमांक -----
मो. क्रमांक -----

अनुबंधकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा नामांकित उत्तराधिकारी-----

द्वितीय पक्ष से संबंध -----

नामांकित उत्तराधिकारी के हस्ताक्षर-----

नामांकित उत्तराधिकारी का स्थायी आयकर खाता क्रमांक (पैन नं.)-----

नामांकित उत्तराधिकारी का आधार क्रमांक -----

नामांकित उत्तराधिकारी का मो. क्रमांक -----

॥ दुग्ध विपणन परिवहन हेतु निविदा सूचना ॥
धरोहर राशि विवरण (अनुसूची 2)

संदर्भ :-निविदा क्रमांक 2220 / छगदुमसं / विपणन / 2021

उरला, दिनांक 26.10.2021

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------|------------|--|---------------------|----------------|---|--|---------------|------------------------------|
| सरल क्र. | मार्ग क्र. | मार्ग विवरण | अनुमानित दूरी किलो. | कुल धरोहर राशि | निविदा के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि | निविदा स्वीकृति पर जमा की जाने वाली धरोहर राशि | भार क्षमता टन | शहर |
| 1 | 51 | उरला-रायपुर-खरोरा-तिल्दा-उरला | 125 / 200 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 2.0 | रायपुर-खरोरा-तिल्दा |
| 2 | 1 | उरला-रायपुर-उरला सुबह पाली द्वितीय वाहन | 80 | 16,000 | 5,000 | 11,000 | 2.0 | रायपुर एवं आस-पास |
| 3 | 6 | उरला-दुर्ग-उरला | 100 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 3.0 | दुर्ग एवं आस-पास |
| 4 | 10 | उरला-बेमेतरा-कबीरधाम-नवोदय-गंडई-उरला | 307 | 32,000 | 10,000 | 22,000 | 2.0 | बेमेतरा, कबीरधाम एवं आस-पास |
| 5 | 54 | जगदलपुर स्थानीय | 30 | 3,000 | 3,000 | 00 | 0.5 | जगदलपुर एवं आस-पास |
| 6 | 18 | कोनी बिलासपुर-बिलासपुर-शहर-कोनी सुबह पाली | 50 | 12,000 | 5,000 | 7,000 | 3.0 | बिलासपुर एवं आस-पास |
| 7 | 20 | बिलासपुर शाम पाली | 60 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 1.5 | बिलासपुर एवं आस-पास |
| 8 | 21 | बिलासपुर-सीपत-बिलासपुर | 100 | 14,000 | 5,000 | 9,000 | 1.5 | बिलासपुर एवं आस-पास |
| 9 | 22 | बिलासपुर- सकरी-कोटा-बिलासपुर | 100 | 14,000 | 5,000 | 9,000 | 1.5 | बिलासपुर एवं आस-पास |
| 10 | 27 | बिलासपुर-कोरबा-कटघोरा-एन.टी.पी.सी.-बिलासपुर | 280 | 50,000 | 10,000 | 40,000 | 4.0 | बिलासपुर, कोरबा एवं आस-पास |
| 11 | 28 | बिलासपुर-कोरबा-वाया दीपका गेवरा-बिलासपुर | 285 | 50,000 | 10,000 | 40,000 | 4.0 | बिलासपुर, कोरबा एवं आस-पास |
| 12 | 30 | बिलासपुर-मस्तूरी (ज.न.वि.) अकलतरा-जांजगीर-बलोदा-बिला | 200 | 18,000 | 5,000 | 13,000 | 2.0 | बिलासपुर एवं आस-पास |
| 13 | 36 | रायगढ़-खरसिया-रायगढ़ | 80 | 6,000 | 6,000 | 00 | 1.0 | रायगढ़ एवं आस-पास |
| 14 | 37 | रायगढ़-नलवा-कुंजीपतला-रायगढ़ | 97 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 1.5 | रायगढ़ एवं आस-पास |
| 15 | 38 | दुबछोला से चिरमिरी | 65 | 6,000 | 6,000 | 00 | 1.0 | दुबछोला से चिरमिरी |
| 16 | 39 | कटघोरा से बैकुंठपुर | 296 | 40,000 | 10,000 | 30,000 | 2.0 | कटघोरा, बैकुंठपुर एवं आस-पास |
| 17 | 44 | उरला-रायपुर-मंदिर हसौद-नवा रायपुर- उरला | 128 | 22,000 | 10,000 | 12,000 | 2.0 | रायपुर एवं आस-पास |
| 18 | 45 | बिलासपुर-चकरभाटा-बिल्हा-बिलासपुर | 70 | 12,000 | 5,000 | 7,000 | 1.5 | बिलासपुर एवं आस-पास |
| 19 | 49 | बिलासपुर-तखतपुर-मूंगेली-लोरमी-बिलासपुर | 178 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 1.0 | बिलासपुर, मूंगेली एवं आस-पास |
| 20 | 53 | दल्लीराजहरा-नारायणपुर-दल्लीराजहरा | 260 | 32,000 | 5,000 | 27,000 | 2.0 | नारायणपुर एवं आस-पास |
| 21 | 54 | भानुप्रतापपुर-पखांजूर-बांदे-भानुप्रतापपुर | 200 | 22,000 | 10,000 | 12,000 | 1.0 | पखांजूर एवं आस-पास |

